



No.A.12023/1/2023-E-III

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

जल संवर्धन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

VACANCY CIRCULAR FOR THE POST OF CHAIRMAN IN BRAHMAPUTRA BOARD

1. The Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) invites applications for the post of Chairman in Level-15 (Rs. 1,82,200-2,24,100/-) by deputation (including short-term contract) basis in the Brahmaputra Board, Guwahati, a statutory body under the Department.

2. Details of the post along with its eligibility criteria are given on the website of this Department, as well as on the website of the Brahmaputra Board.

3. Interested officers may apply through proper channel and completed applications in the prescribed proforma may be forwarded to Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001, within 45 days from the date of publication of this advertisement



No.A.12023/1/2023- ६-III

भारत सरकार

Government of India

जन शक्ति मंत्रालय

जन संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

ब्रह्मपुत्र कोई में अटचल के पद के लिए रिक्ति परिपत्र

जन शक्ति मंत्रालय (जन संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) इस विभाग के अधीन एक सांख्यिकी विभाग, ब्रह्मपुत्र कोई, मुकेशपुरी, मे पोलिमिनुविल (अल्पसंख्यक सचिवालय) अटचल का पोस्ट-15 (संख्या 1.62.200-2.24.100-) में अटचल का एक (01) पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

2. पद के लिए पात्रता मानकों सहित विवरण इस विभाग की वेबसाइट के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र कोई की वेबसाइट पर भी दिया गया है।

3. इच्छुक अभ्यर्थी उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और विचारित प्रश्नों में अर्थ रूप आवेदन 'श्री अमित कुमार हार्ने, अवर सचिव, जन संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जन शक्ति भवन, रवी मार्ग, नई दिल्ली - 110001' में विज्ञापन की तिथि से 45 दिन के अंदर अवैधान्त कर सकते हैं।



No. A-12018/1/2023-E-III

भारत सरकार / Government of India

जल शक्ति मंत्रालय / Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन व नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, Dated 17th March, 2023

To

1. The Secretaries of all Ministries/ Department of Govt. of India,
2. Chief Secretaries All State Govts./UT Administration.
3. All organisations under D/o WR, RD & GR.

Subject: Vacancy Circular for filling up of one post of Chairman in Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body of Department of Water Resources, RD & GR on deputation (including short term contract) basis.

Sir,

I am directed to say that applications are invited for filling up of the 01 (one) post of Chairman in Level-15 (Rs.1,82,200-2,24,100/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a Statutory body setup under an Act of Parliament (45 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. Details of the post along with its eligibility criteria for the post is given in Annexure-I of this Circular.
3. Appointment on deputation basis in respect of a serving Central Government Officer will attract benefits as provided under the Department of Expenditure's O.M. No. 11(2)/97E.II(B), dated 22.05.1998, O.M. No. 11(6)/2008-E.II(B), dated 02.04.2013 and O.M. No. 26/1/2017-E.II(B), dated 14.08.2018, as amended from time to time.
4. All organisations are hereby requested to give wide publicity to this Circular among their officers and nominate eligible and willing officers for consideration of appointment in the aforementioned post, to Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110 001 within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News.

Signed by Anil Kumar
Sharma

Date: 17-03-2023, 13:01:57

(Anil Kumar Sharma)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 23718928

o/c
issued
17/03/2023

Annexure-I

Details of eligibility criteria for the post of Chairman, Brahmaputra Board are mentioned below:-

Applications are invited for filling up of the 01 (one) post of Chairman in Level-15 (Rs.1,82,200-2,24,100/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES

The Chairman is the head of the Brahmaputra Board. He is overall in-charge of the Board and is responsible for its efficient and smooth functioning. He has to exercise such of the powers and discharge such of the duties as are given in the Brahmaputra Board Act and Rules and also as may be delegated to him by the Board from time to time.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short term contract):

(A) Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or recognized Research Institutions or Autonomous Bodies or Statutory Organisations:-

(a)(i) holding an analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
(ii) holding the post in the grade in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent with three years regular service; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:-

(i) Degree in Civil Engineering from a recognized University, and
(ii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management; or
(iii) Eighteen years' experience in the preparation of Master Plans or Comprehensive Plans for Flood Management or River Training Works or General Administration.

(B) All India Service officers:

(i) holding an analogous post in the Central Government or State Government on regular basis; or
(ii) with three years' regular service in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent in Central Government or State Government; and
(iii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government or State Government shall not exceed five years.

5. **AGE:** The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract appointment shall be not exceeding **fifty-eight years** as on the closing date of receipt of applications.
6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.
7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/S/2009-Est.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure-I** should reach to: Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110 001 **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.
10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years and (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in **Annexure-II**.
11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from the Ministry's website: <http://jalshakti-dwr.gov.in>.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Name of Post | Chairman, Brahmaputra Board, a statutory body |
| 2. Number of Posts | 01 (one) |
| 3. Classification | Group 'A', Non-Ministerial |
| 4. Level in the pay matrix | Level-15 (Rs.1,82,200-2,24,100/-) |
| 5. Grade Pay | |
| 6. Period of deputation | The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall not |

- exceed five years.
7. Duties and responsibilities of the post : The Chairman is the head of the Brahmaputra Board. He is overall in-charge of the Board and is responsible for its efficient and smooth functioning. He has to exercise such of the powers and discharge such of the duties as are given in the Brahmaputra Board Act and Rules and also as may be delegated to him by the Board from time to time.
8. Pay & Allowances : The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (Duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Est.(Pay III), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9. Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post : Deputation (including short term contract):
 (A) Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognized Research Institutions or Autonomous Bodies or statutory organisations;
 (a) holding an analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
 (ii) holding the post in the grade in level-14 (Rs. 1,44,200-2,15,200/-) in the pay matrix or equivalent with three years regular service; and
 (B) Possessing the following educational qualifications and experience:
 (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and
 (ii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management; or
 (iii) Eighteen years' experience in the preparation of Master Plans or Comprehensive Plans for Flood Management or River Training - Works or General Administration.
 (B) All India Service officers:
 (i) holding an analogous post in the Central Government or State Government on regular basis; or
 (ii) with three years regular service in level-14 (Rs.1,44,200-2,15,200/-) in the pay matrix or

equivalent in Central Government or State Government and

(iii) Eighteen years' experience in the field of investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management.

Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join, and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

10. Age :

The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract appointment shall be not exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications.

Annexure-II

Bio Data Proforma

- Name and address (in Block Letters) :
Telephone Number :
- Date of Birth (in Christian era) :
- Date of retirement under Central Government Rules :
- Educational Qualifications :
- Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same) :

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

- Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
- Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/Institution/organisation	Post held (and service / cadre to which it belongs)	From	To	Pay in the classification of post	Nature of pay band and duties

8. Nature of present employment, i.e.
- Ad-hoc basis
 - Regular / on temporary basis
 - Pay in the Pay Band
 - Grade Pay drawn
9. In case the present employment is held on deputation / contract basis, please state:
- The date of initial appointment
 - Period of appointment on deputation / contract
 - Name of the parent office/organisation to which you belong
10. Additional details about present employment. Please state whether working under:
- Central Government
 - State Government
 - Autonomous organisation
 - Government Undertaking
 - Universities
11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale
12. Total emoluments per month now drawn:
13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
14. Whether belonging to SC/ST
15. Remarks

Signature of the candidate

Date

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Courtesy signed with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceedings is either pending or contemplated against Dr. Shiv Smit Ma. who has applied for the post of _____ in the _____ on _____ on deputation basis.

(Authorised signatory)

Name & Office Seal :

Date:

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/major penalty has been imposed during the last ten years in
 Dr./Shri/Smt./Ms. _____
 who has applied for the post of _____ in
 the _____ on
 deputation basis.

(Authorised signatory)

Name & Office Seal :

Date:

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Report of
 Dr./Shri/Smt./Ms. _____
 who has applied for the post of _____ in
 the _____ on
 deputation basis, it is certified that his/her integrity is beyond doubt.

(To be signed by an officer of the rank of Deputy Secretary or above)

Name & Office Seal :

Date:

सं. ए-12018/1/2023-ई-III

भारत सरकार

जन शक्ति मंत्रालय

जन संरक्षण, लघु विकास और गैर सरकारी विभाग

जन शक्ति भवन, एपी मार्ग,

नई दिल्ली, दिल्ली.

17 मार्च, 2023

साथ में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सदस्य
2. सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
3. जन संरक्षण, लघु विकास और गैर सरकारी विभाग के अंतर्गत सभी संगठन

विषय: जन संरक्षण, लघु विकास और गैर सरकारी विभाग के एक सार्वजनिक विभाग में प्रति नियुक्ति (सबू अर्थात् सचिव सचिव) आधार पर बजटपूर्व बड़े मुकदमों में अपील के एक पत्र को भरणे के लिए विज्ञापन का प्रकाशन।

संदर्भ/संदर्भ:

मुझे यह सूचना का निर्देश हुआ है कि जन शक्ति मंत्रालय, जन संरक्षण, लघु विकास और गैर सरकारी विभाग के प्रशासनिक विभाग में लघु के एक अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत सचिव एक सार्वजनिक विभाग बजटपूर्व बड़े मुकदमों में प्रतिनियुक्ति (अर्थात् सचिव सचिव) पर पैरान अधिनियम में सार-15 (1.32.200-2.24.100 रूप) में अपील का एक पत्र भरणे के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. इस पत्र के लिए पात्रता आसक्ति सचिव विभाग इस परिपत्र के अनुसूचक-1 में दिया गया है।

3. समक-समक पर पात्र संशोधित व्यव विभाग के दिनांक 22.08.1998 के कार्यलय सचिव संख्या 11(2)/97ई-III(स), दिनांक 02.04.2013 के कार्यलय सचिव संख्या 11(5)/2008-ई-III(स) और दिनांक 14.08.2018 के कार्यलय सचिव संख्या 28/1/2017-ई-III(स) के तहत किए गए पदधारी के अनुसार संरक्षण केन्द्र सरकार के अधिकारी के समर्थ में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति में हट ही जलनी।

4. रोजगार सचिव में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के भीतर ही अनिप्त कुमर हार्ने, अर्थात् सचिव, एक जन, कक्षा संख्या 633, जन शक्ति मंत्रालय, जन संरक्षण, लघु विकास और गैर सरकारी विभाग, जन शक्ति भवन, एपी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को एक पत्र में नियुक्ति पर विचार हेतु सभी संगठन द्वारा अपने अधिकारियों के बीच इस परिपत्र का प्रकाशन प्रसार किया जाए और उस दौरान यह दृष्टिकोण अधिकारियों का सम्बन्धन किया जाए।

Signed by Anil Kumar
SharmaDate: 17-03-2023 13:04:18
(अमित कुमार शर्मा)

अर्थात् सचिव, भारत सरकार

दस्तावे: 21714928

अनुसूचना-1

अपवाद, बड़पुत्र चौक के बाड़ के लिए बचत समिति का प्लॉट नीचे दिया गया है :-

जब तक संसद, जल संवर्धन, नदी विभाग और जल संरक्षण विभाग के पारस्परिक निर्देशन में संसद के एक अधिसूचना (1980 का 46) के अंतर्गत तैयार एक प्राथमिक विचार बड़पुत्र चौक बूझाड़ी में प्रतिनिधुक्ति (अल्पसंख्यक संविधान संविधान) पर देना अधिसूचना में संसद-19 (1,44,200-2,18,200 रुपए) में अपवाद का एक पट बनने के लिए अर्थात् अधिसूचना दिया जाये है।

बचत समिति 2

अपवाद बड़पुत्र चौक के समूह है। यह चौक के बूझाड़ी है तथा उसके बूझाड़ी और बूझाड़ी प्रक्रिया के लिए अंतर्गत है। यह बड़पुत्र चौक के अधिसूचना और निर्देशन में दिए गए संसद संसदीय अधिसूचना पर चौक द्वारा पर्यवेक्षण संविधान का प्रदान करेगा।

बचत समिति 3

प्रतिनिधुक्ति (अल्पसंख्यक संविधान संविधान):

(क) केवल अपवाद बचत समिति अपवाद संसदीय क्षेत्र अर्थात् अपवाद अपवाद बचत अनुसूचना संसदीय अपवाद संसदीय अपवाद संसदीय संसदीय के एक अधिसूचना-

(ख) (i) बचत समिति का विभाग में जो निर्देशित आधार पर संसदीय पट बनने लिए हुए है ; अपवाद

(ii) बचत समिति में देना अधिसूचना में संसद-14 (1,44,200-2,18,200/-) रुपए अर्थात् संसदीय संसदीय में निर्देशित आधार पर निधुक्ति के बचत बचत में 3 वर्ष की सेवा दी है ; और

(घ) इसके बचत निर्देशित संसदीय संसदीय एवं अनुसूचना है-

(i) किसी संसदीय पट निर्देशित संसदीय में संसदीय की विधि।

(ii) जल संवर्धन विभाग परियोजनाओं के क्षेत्र में निर्देशित का अधिसूचना का निर्देशित का अधिसूचना का अधिसूचना का अधिसूचना अपवाद बचत अपवाद अपवाद में 18 वर्ष का अनुभव और

(iii) बचत समिति का नदी विभाग निर्देशित अपवाद संसदीय बचत अनुसूचना संसदीय का अधिसूचना संसदीय को संसदीय करने में 18 वर्ष का अनुभव।

(ख) अधिसूचना संसदीय अधिसूचना।

i. निर्देशित आधार पर केवल संसदीय का अधिसूचना संसदीय में संसदीय पट बनने लिए हुए है- अपवाद

ii. देना अधिसूचना में संसद-14 (1,44,200-2,18,200/-) रुपए अर्थात् संसदीय संसदीय में निर्देशित आधार पर निधुक्ति के बचत बचत में 3 वर्ष की सेवा दी है ; और

iii. जल संवर्धन विभाग परियोजनाओं के क्षेत्र में निर्देशित का अधिसूचना का निर्देशित का अधिसूचना का अधिसूचना का अधिसूचना अपवाद बचत अपवाद में 18 वर्ष का अनुभव है।

4. प्रतिनिधुक्ति की अवधि

प्रतिनिधुक्ति की अवधि (सबु अवधि संविद संविद) समसमयस्य केवट हरस्य के बसस अवध विधी अन्य संवत्स्य च विधस्य नै इस निधुक्ति में सुरस पसने धरित अन्य संवत्स्य बसस चड पर प्रतिनिधुक्ति की अवधि (सबु अवधि संविद संविद) सविद 3 वर्षे नै अधिक नही होवे।

5. अनु. प्रतिनिधुक्ति च सबु अवधि संविद इस निधुक्ति के निर अधिपस्य सबु संस अधिपस्य पस होने की निर्धसित अधिस विधि तस 19 वर्षे नै अधिक नही होवे।

6. इस चड के निर अनुचरों की चस संव./अनुचर और सबु च निर्धसण करने के निर अधिस विधि अधिपस्य पस होने की अधिस करीब होवे।

7. किसी नै अधिसरी की चरधित होने के चड अधिपस्य संवत्स्य नै अन्य संवत्स्य करी नै इसर करने की अनुमति नही होवे, और चड चरधित करने चर अधिसरी की विधिसदरी होवे कि चड चरधित अधिसरी की निधुक्ति अधिस जारी निर करने के तस सबु के उदा करे मुस करे।

8. चरधित अधिसरी के चस करसिक चड अधिसण विधस के विधस: 17.04.2010 के च.अ. सं. 8/8/2009-संवत्स्य (विश-III) (अस्य-अस्य पर चस चरधित) के अनुसर अस्य चड विधस और प्रतिनिधुक्ति (इपटी) अस्य अधिस करने अस्य प्रतिनिधुक्ति के चड के संवत्स्य नै अस्य विधस निर्धसित करपने का विधस्यक होवे।

9. अनुसससस-III नै अधिपस्य के संसुल विधस के सबु अधिपस्य संवत्स्य समस्य नै चड विधस चरधित होने की करीब नै 45 दिन के भीतर की अधिस कुमर चरने, उवर संविध, एकर तस, अस्य संवत्स्य (1), उरस चरि संवत्स्य, उरस संवत्स्य, उरी विधस और संस संसस्य विधस, चड चरि अस्य, उरी चरने, नई विधस-110001 नै संसुल चरने चरिण। सबु अधिपस्य की अससरी मुस चरि करणी। सरसरी और सरससिक होर के अधिपस्य नै "अधिस संवत्स्य नै" अधिपस्य करस चरिण। विधस्य नै सबु तस संसुल चरि के विधस निर गर अधिपस्य चड निर ज सवेर है।

10. उरस चरि अधिसरी/अनुचरों के अधिपस्य पर विधस निरस करस, नै अधिस संवत्स्य च संसुल गर है और निरसके सबु (i) पस नै अधिस मुस (चर चरि) (ii) अस्य अधिस संसुल के अधिसरी में संवत्स्य विधस चरि चरने की एसीअर/एसीअर की चरिधिस (iii) संसुल सवीधुक्ति (iv) विधस चरि चरने के एसीअर अस्य गर, चरि चरि है, चरि चरि चरि चरि चरि चरि चरि और (v) संवत्स्य पस पर तस (vi) संसुल सवीधुक्ति संसुल हो। सबु अधिस संवत्स्य/अनुचर अनुसससस-III नै चरि गर चरिचरने के अनुसर होवे चरिण।

। विवरण और जोड़ने का प्रश्न संख्या की संख्या - <http://jaishakti-dowr.gov.in> में दर्शाया जा रहा है ।

1	पद का नाम	अध्याय, इलाहाबाद, एक सहायक निदेश
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	कार्यक्रम	समूह 'क' अनुसूचित
4	पैमाना बैंड/ चोट पैमाना	लेवल-15 (1,82,200-2,24,100/-)
5	श्रेणियाँ	-
6	प्रतिनिधित्व की अवधि	प्रतिनिधित्व की अवधि (सबू अवधि सहित) सहस्रान्तक केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी अन्यक संगठन या विभाग से इस नियुक्ति से जुड़े पहले धारित अनुभव संदर्भ के आधार पर प्रतिनिधित्व की अवधि (सबू अवधि सहित) सहित 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
7	पद के आवेदन के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	अपेक्षा इलाहाबाद के समान है। यह श्रेणी के संपूर्ण पदों पर लगे हुए उम्मीदवारों और सुचारु प्रक्रिया के लिए उपलब्ध है। यह इलाहाबाद के अधिनियमों और नियमों में दिए गए शर्तों पर निर्भर करेगा तथा यह ही संशोधन-समय पर की गई जायेगी। इनके प्रायोगिक शक्तियों का उपयोग करेगा।
8	पैमाना एवं शर्तें	पदों के लिए यह अधिनियमों, नैतिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश 17.06.2010 के संशोधन अधिनियम 5/8/2009-संशोधन (दोस्त II) (संशोधन-समय पर संशोधन-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अथवा गैर-पैमाना और

	<p>प्रतिनिधित्व (ड्यूटी) का आहरित कला अथवा प्रतिनिधित्व पद के वेतनमान में अथवा वेतन नियत करने का अधिकार होगा।</p>
5	<p>पद के लिए आवेदन प्रतिनिधित्व (अथु अथवा अधिक अधिकार)।</p> <p>अर्हताएं, अनुभव और (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा सर्वजनिक सेवा आयोग अथवा स्वयंसेवा पदा अनुसंधान समझौते अथवा स्वयंसेवा नियमों अथवा सांख्यिक संगठनों के ऐसे अधिकारी-</p> <p>(क) (i) मूल संघों या विभाग में जो नियमित आकर पर मरहवी पद धारण किए हुए हैं, अथवा</p> <p>(ii) मूल संघों में वेतन नोटिफिकेशन में सेक्टर-14 (1,44,200-2,18,200/-) रुपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आकर पर नियुक्ति के बाद वेतन में 3 वर्ष की सेवा दी हो, और</p> <p>(ख) जिसके पद निम्नलिखित शैक्षणिक क्षेत्र एवं अनुभव हो-</p> <p>(i) किसी मजबूत पत्र विधिविधानों से नियमित इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।</p> <p>(ii) जब संसंधन विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में निर्देशक या आयोजक या डिजाइनर या सर्वेक्षणकर्ता या संचालक या अनुसंधान या पर्यवेक्षण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष या अनुभव और</p> <p>(iii) यह प्रबंधन या नदी परिक्षण निरीक्षण वाली अथवा समस्त कार्यवाही हेतु मजबूत योजनाओं या पर्याप्त योजनाओं को तैयार करने में 18 वर्ष या अनुभव।</p> <p>(ख) अधिकतम सरकारी सेवा अधिकारी-</p> <p>(i) नियमित आकर पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में मरहवी पद धारण किए हुए हैं, अथवा</p> <p>(ii) वेतन नोटिफिकेशन में सेक्टर-14 (1,44,200-2,18,200/-) रुपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आकर पर नियुक्ति के बाद वेतन में 3 वर्ष की सेवा दी हो, और</p> <p>(iii) जब संसंधन विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में</p>

		<p>निरीक्षण या आवेदन या डिजिटल या ऑनलाइन या संघसत या अनुरोध या परीक्षण अथवा प्रत्यक्ष अथवा उपरान्त में 18 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>किसी भी अधिकारी को प्रचलित होने के बाद आवेदन प्रेषित होने अथवा संकल्पना करने में इतर कर्मों की अनुमति नहीं होगी, और वह प्रचलित करते होने अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रचलित अधिकारी को नियुक्ति अर्थात् जारी किए जाने के पूर्व बाद के अंतर परंप्रणुत करे।</p>
10	अधु	<p>प्रतिनियुक्ति अथवा अनुभवसहीत संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम अधु सीमा आवेदन प्रेषित होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

अनुभवसहीत:-

जीवन-पूरा प्रश्न

1. उम्र और पार (स्पष्ट उत्तरी में):
टैलीफोन संख्या:
2. जन्म तिथि (ईसवी सन में):
3. केंद्र सरकार नियमों के तहत सेवासिद्धि की तारीख:
4. वैशिक संख्या:
5. क्या आप इस पद के लिए आवेदन वैशिक तथ्य अथवा संख्याएं रखते हैं?
(यदि किसी संख्या को नियमों में निर्धारित किसी संख्या के समतुल्य माना गया है तो इसको लिए प्रमाणित कर उल्लेख करें)

अवेसित संख्या/अनुभव	अधिकारी की संख्या/अनुभव
अतिवर्ष	
वर्ष	

कृपया आप स्वयं द्वारा की गई घोषितियों के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अवस्था पूरी करते हैं।

7. अनुभवसहीत संख्या के रूप में (यदि कोई विशिष्ट संख्या आवेदन है तो

आपने इसका उत्तर द्वारा भली-भांति अधिष्ठापित जलता से एक वीडियो संलग्न करें।

सर्वोच्च/अनुसूचित /संगठन का नाम	धारित पद और सेवा /संघी त्रिस्तरीय पद संबंधित है	से	जगह	दिनांक बैंड में प्रवेश और पद की श्रेणी	कब से का संपर्क

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात्

- (i) स्थायी
- (ii) स्पष्ट/अस्पष्ट आधार पर
- (iii) दिनांक बैंड में प्रवेश
- (iv) आधुनिक वेतन वेतन

9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुसूचित आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें

- (क) प्राथमिक नियुक्ति की तारीख
- (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुसूचित पर नियुक्ति की अवधि
- (ग) आपके मूल सर्वोच्च/संगठन का नाम

10. वर्तमान राजस्वर के विषय में अतिरिक्त विवरण:

कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-

- (क) केंद्र सरकार
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) स्वयंसेवा संगठन
- (घ) सरकारी उपकरण
- (ङ) निजी/निजीकरण

11. क्या आप संबंधित दिनांकगत वेतन बैंड में यदि हाँ, तो संबंधित की तारीख बताएं तथा संबंधित पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें

12. वर्तमान में आधुनिक कुल वार्षिक परिवर्तित

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हैं। यदि स्थान उपलब्ध हो तो आपका से वीडियो संलग्न करें।

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातकति से संबंधित है।

15. अनुसूचित

आपत्क के इस्तेमाल

दिनांक:

यह पुष्टि की जाती है कि आपत्क द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिजर्व में सम्बन्धित कर ली गई है और गयी पायी गयी है।

सूचक कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति इस्तेमाल और मोहर

सहायक प्राधिकारी के इस्तेमाल

सर्वेक्षक निष्कर्षी प्रमाण-पत्र

पुष्टि की जाती है कि स. / बी / बीमाली / सुबी जिल्दानी
..... में प्रतिनिधित्व के आधार पर के पद के लिए
आवेदन किया है, के विरुद्ध न तो कोई सर्वेक्षक निष्कर्षी अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जाति अथवा अल्पसंख्यक वर्गों संबंधित है और न ही चुन लिया जाने का विचार है।

(प्राधिकृत अधिकारी)

नाम और कार्यालय की मोहर

दिनांक : _____

अतिरिक्त प्रमाण-पत्र

पुष्टि की जाती है कि

स. / बी / बीमाली / सुबी जिल्दानी _____

..... में प्रतिनिधित्व के आधार पर के पद के लिए आवेदन किया है, पर
दिखाते 10 वर्षों में कोई छोटी/बड़ी शक्ति नहीं बसायी गयी है।

(अधिकृत अधिकारी)

नाम और कार्यभार की सीहर
दिये गए।

सत्य निष्पत्ति प्रमाण-पत्र

श. / श्री/ श्रीमती/ सुश्री जिल्होने
में प्रतिनिधित्व के आधार पर के पद के लिए आवेदन किया है, की
सार्वजनिक शोचनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी
सम्बन्धित से कोई सट्टा नहीं है।

(उपरोक्त अधिकार इससे ऊपर के अधिकारी द्वारा स्वतंत्रता किया जाता है।)

नाम और कार्यभार की सीहर